



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245701
CG-DL-E-04052023-245701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1984]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1984]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2072(अ).— मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, दो जनरेटर स्टेटर का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार, उत्तराखंड से विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पतरातू, झारखंड, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स रामेश्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में दो जनरेटर स्टेटर के परिवहन के लिए, मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1.	जीजे-27-वी-4717	वोल्वो-520 एचपी
2.	जीजे-01-डीवी-5499	वोल्वो-520 एचपी
3.	जीजे-27-टीटी-0937	वोल्वो-520 एचपी

4.	जीजे-27-टीटी-1609	बोल्वो-520 एचपी
5.	जीजे-27-टीडी-2380	बोल्वो-520 एचपी
6.	जीजे-27-टीटी-0521	बोल्वो-520 एचपी
7.	एच पी-97-5044	बोल्वो-520 एचपी
8.	एचआर-55-क्यू-8289	बोल्वो-520 एचपी

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रैलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एचआर-38-वाई-9146	टीआईआईजीआईआर	6	156
2.	एचआर-38-वाई-4151	टीआईआईजीआईआर	4	104
3.	एचआर-38-वाई-1969	टीआईआईजीआईआर	4	104
4.	एचआर-55-एडी-0970	टीआईआईजीआईआर	4	104
5.	एचआर-38-जेड-9122	टीआईआईजीआईआर	4	104
6.	एचआर-38-जेड-3887	टीआईआईजीआईआर	4	104
7.	एचआर-38-जेड-0532	टीआईआईजीआईआर	6	156
8.	एचआर-38-एई-9015	टीआईआईजीआईआर	4	72
9.	एचआर-38-जेड-1642	टीआईआईजीआईआर	4	104
10.	एचआर-38-जेड-5658	टीआईआईजीआईआर	4	104
11.	एचआर-38-जेड-1559	टीआईआईजीआईआर	4	104
12.	एचआर-38-जेड-6897	टीआईआईजीआईआर	4	104
13.	एचआर-55-एजी-8096	टीआईआईजीआईआर	6	156
14.	एचआर-38-एई-4147	टीआईआईजीआईआर	6	108
15.	एचआर-38-एई-1047	टीआईआईजीआईआर	6	108
16.	एमएच-46-एक्यू-1260	गोल्डहोफर	4	104
17.	एचआर-38-एडी-8395	टीआईआईजीआईआर	6	108
18.	एचआर-38-एडी-0979	टीआईआईजीआईआर	6	108
19.	एचआर-38-एडी-7275	टीआईआईजीआईआर	4	72
20.	एचआर-38-एडी-7995	टीआईआईजीआईआर	4	72
21.	एचआर-38-एडी-5469	टीआईआईजीआईआर	4	72
22.	एचआर-38-एडी-6636	टीआईआईजीआईआर	4	72
23.	डीडी-01-सी-9940	टीआईआईजीआईआर	6	108
24.	डीडी-01-सी-9928	टीआईआईजीआईआर	6	108

क्रम सं	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
25.	डीडी-01-सी-9232	टीआईआईजीआईआर	4	72
26.	डीडी-01-सी-9677	टीआईआईजीआईआर	4	72
27.	एचआर-38-एडी-4533	टीआईआईजीआईआर	6	108
28.	एचआर-38-एडी-9971	टीआईआईजीआईआर	6	108

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
						लं (मी)	चौ. (मी)	ऊँ. (मी)	
1	जनरेटर स्टेटर	79.92	466.28	546.18	22.76	10.225	5.09	4.9	16(1+1/2) धुरी पंक्तियां (24 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		106.56 + 162.43 (गर्डर ब्रिज) = 268.99	466.28	735.27	22.98	10.225	5.09	4.9	16 धुरी पंक्तियां + गर्डर ब्रिज + 16 धुरी पंक्तियां (32 धुरी पंक्तियों के बराबर) को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		119.88 + 162.43 (गर्डर ब्रिज) = 282.31	466.28	748.59	20.79	10.225	5.09	4.9	18 धुरी पंक्तियां + गर्डर ब्रिज + 18 धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

- (i) उपरोक्त अधिक आयामी खेपों का परिवहन, विशिष्ट मार्ग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार, उत्तराखंड से विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पतरातू, झारखंड तक, इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-

बीएचईएल हरिद्वार – मेरठ- गाजियाबाद- बुलंदशहर- अलीगढ़ – आगरा – ग्वालियर – झांसी – सागर – नरसिंहपुर – जबलपुर –कटनी – मैहर –रीवा –हनुमना –मिर्जापुर –रॉबर्ट्सगंज –भिद्री –मोहनिया –सासाराम –औरंगाबाद – बरही-हजारीबाग- रामगढ़ - पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, झारखंड।

- (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- (iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स रामेश्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।
- (v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. आरटी-11042/03/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2072(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of two Generator Stator from Bharat Heavy Electricals Limited Haridwar, Uttarakhand to Vidyut Utpadan Nigam Ltd Patratu, Jharkhand by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Rameshwar Transport Company Private Limited is the transporter of M/s Bharat Heavy Electricals Limited, for transportation of two Generator Stator for the aforesaid movement.
2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	GJ-27-V-4717	VOLVO-520 HP
2.	GJ-01-DV-5499	VOLVO-520 HP
3.	GJ-27-TT-0937	VOLVO-520 HP
4.	GJ-27-TT-1609	VOLVO-520 HP
5.	GJ-27-TD-2380	VOLVO-520 HP
6.	GJ-27-TT-0521	VOLVO-520 HP
7.	HP-97-5044	VOLVO-520 HP
8.	HR-55-Q-8289	VOLVO-520 HP

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR-38-Y-9146	TIIGER	6	156
2.	HR-38-Y-4151	TIIGER	4	104
3.	HR-38-Y-1969	TIIGER	4	104
4.	HR-55-AD-0970	TIIGER	4	104
5.	HR-38-Z-9122	TIIGER	4	104
6.	HR-38-Z-3887	TIIGER	4	104
7.	HR-38-Z-0532	TIIGER	6	156
8.	HR-38-AE-9015	TIIGER	4	72
9.	HR-38-Z-1642	TIIGER	4	104
10.	HR-38-Z-5658	TIIGER	4	104
11.	HR-38-Z-1559	TIIGER	4	104
12.	HR-38-Z-6897	TIIGER	4	104
13.	HR-55-AG-8096	TIIGER	6	156
14.	HR-38-AE-4147	TIIGER	6	108
15.	HR-38-AE-1047	TIIGER	6	108
16.	MH-46-AQ-1260	GOLDHOFER	4	104

17.	HR-38-AD-8395	TIIGER	6	108
18.	HR-38-AD-0979	TIIGER	6	108
19.	HR-38-AD-7275	TIIGER	4	72
20.	HR-38-AD-7995	TIIGER	4	72
21.	HR-38-AD-5469	TIIGER	4	72
22.	HR-38-AD-6636	TIIGER	4	72
23.	DD-01-C-9940	TIIGER	6	108
24.	DD-01-C-9928	TIIGER	6	108
25.	DD-01-C-9232	TIIGER	4	72
26.	DD-01-C-9677	TIIGER	4	72
27.	HR-38-AD-4533	TIIGER	6	108
28.	HR-38-AD-9971	TIIGER	6	108

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
						L (m)	W (m)	H (m)	
1	Generator Stator	79.92	466.28	546.18	22.76	10.225	5.09	4.9	16(1+1/2) axle rows (equivalent to 24 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)
		106.56 + 162.43 (girder bridge) = 268.99	466.28	735.27	22.98	10.225	5.09	4.9	16 axle rows+ Girder Bridge + 16 axle rows (equivalent to 32 axle rows) will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)
		119.88 + 162.43 (girder bridge) = 282.31	466.28	748.59	20.79	10.225	5.09	4.9	18 axle rows+ Girder Bridge + 18 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- The specific route for transportation of the these over dimensional consignments will be from Bharat Heavy Electricals Limited Haridwar, Uttarakhand to Vidyut Utpadan Nigam Ltd Patratu, Jharkhand by road through-
BHEL Haridwar – Meerut –Ghaziabad - Bulandshahr - Aligarh – Agra – Gwalior – Jhansi – Sagar – Narsinghpur – Jabalpur – Katni –Maihar – Rewa – Hanumana – Mirzapur – Robertsganj – Bhatti – Mohania – Sasaram – Aurangabad – Barhi –Hazaribagh – Ramgarh Patratu Thermal Power Station, Jharkhand.
- Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely

monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Rameshwar Transport Company Private Limited.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Haryana, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra and union territory of Daman and Diu.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/03/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.